

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा० (प्र०) सच्चिदानन्द शर्मा, तत्कालीन अपर निदेशक -सह-परीक्षा नियंत्रक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना सम्प्रति प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष फिजियोलोजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज पटना अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:-

उक्त डा० (प्र०) शर्मा के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा० (प्र०) शर्मा असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए श्री शोखर चन्द्र वर्मा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, श्री नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना नियुक्त किया जाता है।

डा० (प्र०) सच्चिदानन्द शर्मा को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

**आदेश:** आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा०, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, श्री शोखर चन्द्र वर्मा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा०, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति श्री नागेन्द्र प्रसाद, अवर सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 563 (9) / स्वा०, पटना, दिनांक : 27/12/2015

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति डा० (प्र०) सच्चिदानन्द शर्मा, तत्कालीन अपर निदेशक -सह-परीक्षा नियंत्रक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना सम्प्रति प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष फिजियोलोजी विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।